अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राधेश्याम बनाम सियाराम वगैरह
किस्म मुकदमा— 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 180/2023 (दूदू)

रिमा05
9/6/23

श्री हसन खान एड्वोकेट

राधेश्याम बनाम सियाराम वगैरह (180/2023)

05.06.2023 यह अपील श्री हसन खान एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 103/2021 (309/2023) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई है जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश किया गया।अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2023 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

08.06.2023 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 05.06.2023 को सुना गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निरस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की अनुपालना में तामिली हेतु हेतु नोटिस अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण को लम्बित किया हुआ है, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा क्रेडिटकार्ड बनवाए जाने व ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन किए जाने पर प्रार्थी को प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात पर स्थगन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दी गई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31.05.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया गया, जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान हेतु आवेदन किया गया, जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई। प्रार्थी गरीब एवं अनपढ़ काश्तकार है जो कि विधिक जानकारी से अनभिज्ञ है। उपरोक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि रही है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गई है यदि विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निरस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य कर अपील का निरस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक प्रार्थी/अपील के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक एवं सदभाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राधेश्याम बनाम सियाराम वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 180/2023 (दूदू)

तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने स्थगन प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1/वादी द्वारा दिनांक 09.12.2021 को राजस्व वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 गीतादेवी पत्नि जोहरीलाल जिसका स्वर्गवास दिनांक 21.01.2023 को हो चुका है के कायम मुकामाम को आज दिनांक तक अभिलेख पर नहीं लिया गया है। अवैधानिक रूप से प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पारित आदेश के विपरीत गत प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विपरीत गत दो वर्षो से तामिली नहीं कराई जाकर आदेश 39 नियम 3 ए जा.दी. के विपरीत प्रकरण को लम्बित किया हुआ है व विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् स्थगन आदेश पारित कर समस्त खातेदारान को पाबंद कर उनके निहित हिस्से की खातेदारी की आराजीयात से उपयोग, उपभोग से पाबदं किए जाने में त्रुटि कारित की गई जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा उनवान सीयाराम बनाम कमला, प्रकरण संख्या 103/2021 (309/2023) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 103/2021 (309/2023) में दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थी संख्या 1 वर्तमान अप्रार्थी संख्या 01 को एवं अप्रार्थी संख्या 3 वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनवाई कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1291 रकबा 1.9900 है0 वाकै ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये है। प्रार्थी/अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, प्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही नहीं कर सीधे ही यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था यदि अन्तरिम स्थगन से उनको आपत्ति तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 04 को सुनकर आदेश पारित किये थे किन्तु शेष अप्रार्थीगण की तलबी लंबित रखे हुए है, जिससे अप्रार्थी संख्या 04 वर्तमान अपीलांट जो कि विवादित आराजी के 1/8 हिस्से के सहखातेदार है को उनके अधिकारो से महरूम किया हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को भी चाहिए कि जहॉ अन्तरिम स्थगन पारित किये गये वहॉ अप्रार्थीगण की तामील करा कर प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करना चाहिए, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि यह अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अन्तरिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। अतः न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में शेष अप्रार्थीगण तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राधेश्याम बनाम सियाराम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 180/2023 (दूदू)

से पूर्ण करवा कर, उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस मे आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

...धिकारी
...अजमेर